

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

351/2017
23.03.2017

बद्री पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज.

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं० 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 24.04.2025

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील टोंक की भूमि ख०नं० 66 में 800 वर्गमीटर व भूमि ख.नं.70 मे 100 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा माल-2 व बारानी-1 का निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 16.07.2010 व 12.07.2010 को निरस्त कर अवाप्त शुद्धा भूमि का सिंचित भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 996/09 दिनांक 16.07.2010 व 1064 दिनांक 12.07.2010 तलब की गई। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख०नं० 66 मे से 800 वर्गमीटर वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टर द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल-2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी सिंचित भूमि

- 937 -


आ.वि.ट्रेटर N.H.-12
(जका कलेक्टर)
टोंक (राज.)



की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। अधिसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी में अंकित थी, उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस व अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.04.2025 को प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 996/2009 दिनांक 16.07.2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 66 में से 800 वर्गमीटर किस्म माल-2 व अवार्ड संख्या 1064/2009 दिनांक 12.07.2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 70 में से 100 वर्गमीटर किस्म बारानी-1 का डी.एल.सी. दर से ग्राम उस्मानपुरा आबाद का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है।

अवार्ड पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वंत 2065 वाके ग्राम उस्मानपुरा तहसील टोंक में उक्त भूमि असिंचित दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सिंचित भूमि का मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा सिंचित भूमि बाबत दस्तावेजात के रूप में अधिशाषी अभियन्ता नहर खण्ड II बिसलपुर परियोजना टोंक के कमाण्ड एरिया नहरी की फोटो प्रति पेश की, जिसमें ग्राम का नाम उस्मानपुरा आबाद, नहर का नाम पालडी माइनर, चक नं. 2 plm खसरा नम्बर 66 रकबा कमाण्ड CCA है. 0.08 व खसरा नम्बर 70 रकबा कमाण्ड CCA है. 0.57 अंकित है और साथ ही खसरा गिरदावरी सम्वंत 2064-2067 वाके ग्राम उस्मानपुरा प्रस्तुत की है, जिसमें खसरा नम्बर 66 में सम्वंत 2064 में फसल रबी में सरसो सिंचित दर्ज है और सम्वंत 2066 रबी में सरसो असिंचित रकबा 6 बिस्वा दर्ज है व खसरा गिरदावरी सम्वंत 2061-2064, 2065-2068 वाके ग्राम उस्मानपुरा प्रस्तुत की है, जिसमें खसरा नम्बर 70 में सम्वंत 2064 में फसल रबी में सरसो सिंचित दर्ज है और सम्वंत 2065 रबी में सरसो असिंचित रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी भूमि को बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र में होना बताया है।

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान कर भवन अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के पैरा 3(च) के (ब) में "यदि असिंचित दर्ज है लेकिन गत चार वर्षों में से दो या दो से अधिक वर्षों में रबी की फसल ली गयी है तो भूमि को सिंचित मान कर मूल्यांकन किया जावे" का उल्लेख है। प्रार्थी को बा-1 (असिंचित) की दर से मुआवजा दिया गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने गत चार वर्षों में से दो वर्ष सरसो की फसल काशत की है जो रबी की फसल है। ऐसी स्थिति में कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 16.07.2010 व 12.07.2010 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड संख्या

- 938 -

आबिटेटर N.H.-12

(जिला कलेक्टर)

टोंक (राज.)



996/2009 दिनांक 16.07.2010 व 1064 दिनांक 12.07.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात (अधिशायी अभियन्ता नहर खण्ड II बिसलपुर परियोजना टोंक द्वारा जारी बुक व खसरा गिरदावरी तथा राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ/19(5)राज/उप//2004 दिनांक 18.02.2006 द्वारा बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया गया है में अवाप्त भूमि स्थित है अथवा नहीं संबंधी) की जांच कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
आरबीट्रेटर एन.एच.-12
(जिला कलेक्टर)
आरबीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

